फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ....अनुभाग अधिकारी.... सिकराय ....

....सरकार.... बनाम ....बिरदीचंद....

किस्म मुकदमा ....145.... मु० नं०....6/17....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/17	पत्रावली पेश। वकील [illegible] हाजिर [illegible] पेश किया। वास्ते बहस आरोप दिनांक [illegible] को पेश हो।	
25/11/17	पत्रावली पेश। वकील [illegible] पत्रावली [illegible] पेश हो।	
29/11/2017	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय दिनांक 10.12.2017 को पेश हो।	
10.12.17	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार, उप० पार्टी नं० 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। पार्टी नं० 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति वकील उभयपक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया। पार्टी नं० 1 बिरदीचंद वगैरह ने पत्रावली पर प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश की है जिसका पार्टी नं० 2 ने विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया है। पार्टी नं० 1 द्वारा पेश प्रारम्भिक आपत्ति व साथ पेश दस्तावेजात प्रमाणित नकलों से साबित है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद (रेगुलर सूट) लम्बित है वाद (रेगुलर सूट) [illegible] (सिविल वाद) रेगुलर सूट [illegible]	

इस भूमि पर धारा 145 जा० फौ० व धारा 146 जा० फौ० की
कार्यवाही नही चल सकती। इस प्रकरण के अन्य इन्ही पक्षकारों
के मध्य इसी भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व न्यायालय मे
वाद लम्बित है। इसलिये राजस्व न्यायालय मे वाद
(रेगुलर सूट) के लम्बित रहते इस भूमि पर धारा
145, 146 जा० फौ० की कार्यवाही नही चल सकती है।

ऐसी स्थिति मे धारा 145, 146 जा० फौ० का इस्त.
प्रकरण प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही है व प्रकरण
खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी नं. 1 द्वारा पेश
प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी नं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति
स्वीकार किया जाता तथा विवादित भूमि के संबंध
पेश किया गया धारा 145, 146 जा० फौ० का प्रकरण
उनवानी सरकार v/s प्रार्थी नं. बिरदीचंद वगैरह प्रार्थी नं. 2
सेडूराम वगैरह (मु० नं० 6/17) प्रथम दृष्टया चलने योग्य
नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया
जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.12.12 17:32:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: